v/;k;& I ½ lkekU;

1-1 jktLo çkfIr;ksa dh çofr

1-1-1 वर्ष 2005–06 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

¼djksM+ #i;s esa½

Ø0 l0	0;kSjs	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
I.	jkT; ljdkj }kjk l`ftr jktLo					
	• कर राजस्व	2,318.95	2,761.05	2,889.69	3,347.39	3,561.10
	• कर भिन्न राजस्व	286.70	260.82	320.38	417.79	522.30
	dqy	2]605-65	3]021-87	3]210-07	3]765-18	4]083-40
II.	Hkkjr ljdkj ls çkfIr;k¡					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	6,176.62	6,549.23	7,627.87	9,117.13	10,420.59
	• सहायता अनुदान	1,057.02	1,397.32	1,617.62	2,831.83	3,332.72
	dqy	7]233-64	7]946-55	9]245-49	11]948-96	13]753-31
III.	jkT; ljdkj dh dqy çkfIr;k¡[1] ¼I ,oa II½	9]839-29	10]968-42	12]455-56	15]714-14	17]836-71
IV.	I से III की प्रतिशतता	26	28	26	24	23

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2005–06 के दौरान राज्य सरकार ने 17,836.71 करोड़ रुपये के कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 23 प्रतिशत ही सृजित किया और प्राप्तियों का 77 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था। कुल राजस्व प्राप्तियों में से राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व के अंशदान में वर्ष 2003–04 से 2005–06 की अवधि में लगातार ह्रास होती चली गई।

1-1-2 विगत चार वर्षों के आंकड़ों के साथ–साथ वर्ष 2005–06 की अवधि में संग्रहित कर राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है :

---

[1] *पूर्ण विवरण के लिये कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2005–06 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11 लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष – ''0020 निगम कर'', ''0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर'', ''0028 – आय और व्यय पर अन्य कर'', ''0032–सम्पत्ति पर कर'', 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद, ''0044–सेवा पर कर'', एवं ''0045–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क'' – लघु शीर्ष ''901–निबल– प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा'' के अन्तर्गत आँकड़ें जो वित्त लेखा में ''क–कर राजस्व'' में दिखलाये गये हैं, को ''राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर ''विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश'' में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।*

¼djksM+ #i;s esa½

Øe l-	jktLo 'kh"kZ	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06	2004&05 dh vis{kk 2005&06 esa of) ¼$½ ;k gkl ¼&½ dh çfr'krrk
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,412.96	1,647.62	1,637.23	1,890.54	1,733.60	(–)8.30
2.	राज्य उत्पाद	238.90	241.95	240.01	272.47	318.59	(+)16.93
3.	मुद्रांक एवं निबन्धन शुल्क	304.44	348.21	417.56	429.14	505.29	(+)17.74
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	14.08	14.30	17.62	9.54	18.06	(+)89.31
5.	वाहनों पर कर	141.54	177.98	209.50	212.78	302.44	(+)42.14
6.	माल एवं यात्रियों पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	153.32	262.91	305.83	472.88	613.38	(+)29.71
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	19.62	27.98	28.14	26.65	14.72	(–)44.77
8.	भू–राजस्व	34.08	36.15	33.80	33.39	55.02	(+)64.78
9.	कृषि आय पर कर	0.01	–	–	–	–	–
10.	आय और व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	–	3.95	–	–	–	–
	;ksx	2]318-95	2]761-05	2]889-69	3]347-39	3561-10	¼$½6-38

वर्ष 2004–05 की तुलना में 2005–06 के दौरान राजस्व में भिन्नता का कारण, जैसा कि संबंधित विभाग द्वारा सूचित किया गया था, निम्नवत थे:

fo|qr ij dj ,oa 'kqYd ½ यह वृद्धि (89.31 प्रतिषत) राज्य विद्युत बोर्ड से बकायों के संग्रहण के कारण हुई।

अन्य विभागों से यद्यपि वृद्धि/कमी के कारणों की मांग की गई थी; प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्टूबर 2006)।

1-1-3 विगत चार वर्षों के आंकड़ों के साथ–साथ वर्ष 2005–06 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है :

¼djksM+ #i;s esa½

Øe l-	jktLo 'kh"kZ	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06	2004&05 dh vis{kk 2005&06 esa of) ¼$½ ;k gkl ¼&½
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	11.75	53.01	23.08	75.06	216.07	(+)187.86
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	17.07	10.04	6.29	7.16	8.89	(+)24.16
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	39.20	61.20	73.34	80.09	100.90	(+)25.98

¼djksM+ #i;s esa½

Øe l-	jktLo 'kh"kZ	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06	2004&05 dh vis{kk 2005&06 esa of) ¼$½ ;k gkl ¼&½
4.	विविध सामान्य सेवाएँ (लाटरी प्राप्तियाँ सहित)	13.95	0.60	0.15	9.07	11.77	(+)29.77
5.	वृहत् एवं मध्यम सिंचाई	15.58	15.43	26.22	20.82	10.82	(–)48.03
6.	चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य	16.50	13.92	11.97	12.66	15.10	(+)19.27
7.	मत्स्य पालन	4.36	4.38	5.07	5.15	5.69	(+)10.49
8.	पथ एवं पुल	4.05	10.42	10.63	8.43	12.05	(+)42.94
9.	पुलिस	3.98	22.71	16.86	13.72	6.00	(–)56.27
10.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	22.43	15.19	80.72	107.99	34.21	(–)68.32
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	137.83	53.92	66.05	77.64	100.80	(+)29.83
	dqy	286-70	260-82	320-38	417-79	522-30	¼$½25-01

गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्त्वपूर्ण भिन्नता का कारण, यद्यपि सम्बद्ध विभागों से मई 2006 में मांगे गये, किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

1-2 ctV vuqekuksa rFkk okLrfod çkfIr;ksa ds chp fHkUurk,¡

वर्ष 2005–06 के लिये राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियाँ के बीच भिन्नतायें नीचे दी गई हैं :

¼djksM+ #i;s esa½

Øe l-	jktLo 'kh"kZ	ctV vuqeku	iqujhf{kr ctV vuqeku	okLrfod çkfIr;k¡	fHkUurk,¡ of) ¼$½@ gkl ¼&½	çfr'krrk
•	dj jktLo					
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,356.31	2,356.31	1,733.60	(–)622.71	(–)26.43
2.	राज्य उत्पाद	335.00	335.00	318.59	(–)16.41	(–)4.90
3.	मुद्रांक एवं निबन्धन फीस	600.00	550.00	505.29	(–)94.71	(–)15.79
4.	वाहनों पर कर	310.00	310.00	302.44	(–)7.56	(–)2.44
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	16.30	16.30	18.06	(+)1.76	(+)10.80
6.	भू–राजस्व	35.00	35.00	55.02	(+)20.02	(+)57.20
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	18.70	18.70	14.72	(–)3.98	(–)21.28
8.	माल एवं यात्री पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	312.00	312.00	613.38	(+)301.38	(+)96.60

¼djksM+ #i;s esa½

Øe la-	jktLo 'kh"kZ	ctV vuqeku	iqujhf{kr ctV vuqeku	okLrfod çkfIr;k¡	fHkUurk,¡ of) ¼$½@ gkl ¼&½	çfr'krrk
•	dj fHkUu jktLo					
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	81.00	81.00	100.90	(+)19.90	(+)24.57
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	15.00	7.50	8.89	(–)6.11	(–)40.73
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	57.61	57.61	216.07	(+)158.46	(+)275.06
4.	जल दर (वृहत् एवं मध्यम सिंचाई)	1.50	1.50	10.82	(+)9.32	(+)621.33

बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता का कारण, जैसा कि संबंधित विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, निम्नवत थे:

fcØh] O;kikj vkfn ij dj ½ इस कमी (26.43 प्रतिषत) का कारण मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली (वैट) के लागू किये जाने तथा इसके परिणामस्वरूप विभिन्न वस्तुओं के कर के दरों में कमी थी।

eqnzkd ,oa fucU/ku Qhl ½ इस कमी (15.79 प्रतिषत) का कारण अधिक से अधिक प्राप्ति हेतु बजट अनुमान को बढ़ाकर तैयार किया जाना था।

eky ,oa ;k=h ij dj&LFkkuh; {ks=ksa esa oLrqvksa dk izos'k ij dj ½ इस वृद्धि का कारण पावर ग्रिड कॉरपोरेषन एवं टेलिकॉम कम्पनियों द्वारा अनुसूचित मालों के आयात एवं कच्चे तेल के दामों में वृद्धि थी।

अन्य विभागों से यद्यपि भिन्नता के कारण की माँग की गई थी; प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

1-3 laxzg.k dh ykxr

वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ वर्ष 2004–05 के लिये सकल संग्रहण पर व्यय से सम्बन्धित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गई है :

¼djksM+ #i;s esa½

Øe la-	jktLo 'kh"kZ	o"kZ	ldy laxzg.k	laxzg.k ij O;;	ldy laxzg.k ls O;; dh çfr'krrk	o"kZ 2004&05 ds fy;s vf[ky Hkkjrh; vkSlr çfr'krrk
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2003–04	1,637.23	21.46	1.31	0.95
		2004–05	1,890.54	21.46	1.14	
		2005–06	1,733.60	25.47	1.47	
2.	राज्य उत्पाद	2003–04	240.01	16.20	6.75	3.34
		2004–05	272.47	16.19	5.94	
		2005–06	318.59	14.78	4.64	
3.	मुद्रांक एवं निबन्धन फीस	2003–04	417.56	22.52	5.39	3.44
		2004–05	429.14	22.02	5.13	
		2005–06	505.29	22.48	4.45	

(करोड़ रुपये में)

क्र सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2004-05 के लिये अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
4.	वाहनों पर कर	2003–04	209.50	3.94	1.88	2.74
		2004–05	212.78	3.85	1.81	
		2005–06	302.44	5.09	1.68	

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक तथा निबन्धन फीस के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता, अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी।

1.4 प्रति निर्धारिती बिक्री कर का संग्रहण

वर्ष	कर निर्धारिती की संख्या	बिक्री कर राजस्व (करोड़ रुपये में)	प्रति निर्धारिती राजस्व (लाख रुपये में)
2001–02	55,077	1,412.96	2.56
2002–03	58,495	1,647.62	2.81
2003–04	49,202	1,637.23	3.33
2004–05	75,582	1,890.54	2.50
2005–06	93,043	1,733.60	1.86

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रति निर्धारिती राजस्व संग्रहण वर्ष 2004–05 के 2.50 लाख रुपये से घटकर वर्ष 2005–06 में 1.86 लाख रुपये हो गयी।

1.5 संग्रहण का विश्लेषण

कर निर्धारण के पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद वित्तीय वर्ष 2005–06 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर के कुल संग्रहण का ब्यौरा तथा वित्त (वाणिज्य कर) विभाग द्वारा प्रस्तुत विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित निर्धारण के बाद संग्रहित राशि	कर एवं शास्ति के भुगतान में विलम्ब के लिये अर्थदण्ड	वापस की गई राशि	विभाग के अनुसार कुल संग्रहण	वित्त लेखा के अनुसार कुल संग्रहण	कालम 8 से कालम 3 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2001–02	1,387.17	7.94	–	–	1,395.06	1,412.96	98.17
	2002–03	1,584.73	111.43	0.82	3.16	1,693.82	1,647.62	96.18
	2003–04	1,542.98	91.72	1.01	4.17	1,630.53	1,637.23	94.24
	2004–05	1,809.59	78.79	1.37	9.18	1,879.20	1,890.54	95.72
	2005–06	1664.13	69.92	0.89	17.36	1,716.70	1733.60	95.99

1.6 बकाया राजस्व का विश्लेषण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2006 को बकाया राजस्व 1,344.91 करोड़ रुपये था, जिसमें से 378.13 करोड़ रुपये पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे, जिसका ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है :

¼djksM+ #i;s esa½

Øe la-	jktLo 'kh"kZ	31 ekpZ 2006 dks cdk;k jkf'k	31 ekpZ 2006 dks ikap o"kksZa ls vf/kd iqjkuk cdk;k	vH;fä;k
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	848.25	351.59	848.25 करोड़ रुपये में से 266.77 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाए भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 263.51 करोड़ रुपये एवं 5.77 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई। 8.96 करोड़ रुपये की वसूली आवेदन के भूल सुधार/पुर्नविचार के कारण रोकी गई। शेष 303.24 करोड़ रुपये के बकाए के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग मई एवं अगस्त 2006 में की गई थी, नहीं दी गई है (अक्टूबर 2006)।
2.	वाहनों पर कर	152.09[2]	अनुपलब्ध	152.09 करोड़ रुपये में से 100.24 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। शेष 51.85 करोड़ रुपये के बकाये के सम्बन्ध में की गई कारवाई की सूचना, यद्यपि इसकी मांग मई और जुलाई 2006 में की गई थी, नहीं दी गयी है (अक्टूबर 2006)।
3.	भू–राजस्व	113.76	अनुपलब्ध	संग्रहण के लिये लम्बित रहने वाले बकायों की स्थितियाँ नहीं बतलायी गयी यद्यपि इसकी मांग मई 2006 में की गई थी (अक्टूबर 2006)।
4.	राज्य उत्पाद	21.79[3]	8.21	21.79 करोड़ रुपये में से 10.45 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 0.94 करोड़ रुपये एवं 0.04 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगायी थी। 0.16 करोड़ रुपये की वसूली आवेदन के भूलसुधार/पुर्नविचार के कारण रोकी गई। 0.32 करोड़ रुपये अपलेखन योग्य था। शेष 9.88 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना यद्यपि मई एवं जुलाई 2006 में माँगी गई थी, नहीं दी गई है (अक्टूबर 2006)।
5.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	44.08	11.92	44.08 करोड़ रुपये में से 0.20 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। शेष 43.88 करोड़ रुपये के बकाये के सम्बन्ध में की गई कारवाई की सूचना यद्यपि मई एवं अगस्त 2006 में माँगी गयी थी, नहीं दी गई (अक्टूबर 2006) ।
6.	प्रवेश कर	20.90	1.95	20.90 करोड़ रुपये में से 16.81 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालय द्वारा रोकी गई। शेष 4.09 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गई कारवाई की सूचना यद्यपि मई एवं अगस्त 2006 में माँगी गयी थी, नहीं दी गई (अक्टूबर 2006) ।

[2] *बकाये की राशि में अररिया, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गोपालगंज, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर एवं सुपौल जिला परिवहन कार्यालयों के आँकड़ें सम्मिलित नहीं है।*

[3] *बकाये की राशि में अररिया, बेगूसराय, किशनगंज, नालंदा, नवादा, सहरसा जिला उत्पाद कार्यालयों तथा मैक्डोवेल डीस्ट्रीलरी, हाथीदह के आँकड़ें सम्मिलित नहीं है।*

¼djksM+ #i;s esa½				
Øe la-	jktLo 'kh"kZ	31 ekpZ 2006 dks cdk;k jkf'k	31 ekpZ 2006 dks ikap o"kksZa ls vf/kd iqjkuk cdk;k	vH;qfä;k¡
7.	मनोरंजन कर	2.78	1.87	2.78 करोड़ रुपये में से 2.09 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 0.02 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालय द्वारा रोकी गई। शेष 0.67 करोड़ रुपये के बकाये के विषय में की गयी कारवाई की सूचना यद्यपि मई एवं अगस्त 2006 में माँगी गयी थी, नहीं दी गई (अक्टूबर 2006)।
8.	ईंख पर कर	15.93	2.15	15.93 करोड़ रुपये में से 4.57 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 0.47 करोड़ रुपये और 10.89 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय और सरकार द्वारा रोक लगायी थी।
9	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	124.81	अनुपलब्ध	124.81 करोड़ रुपये में से 106.36 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। शेष 18.45 करोड़ रुपये के बकाये के विषय में की गयी कारवाई की सूचना यद्यपि मई एवं जुलाई 2006 में माँगी गयी थी, नहीं दी गई (अक्टूबर 2006)।
10	वन एवं पर्यावरण	0.52[4]	0.44	0.52 करोड़ रुपये में से 0.36 करोड़ रुपये की मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये। 0.57 लाख रुपये एवं 7.43 लाख रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई। शेष 7.75 लाख रुपये के बकाये के विषय में की गयी कारवाई की सूचना यद्यपि मई एवं जुलाई 2006 में माँगी गयी थी, नहीं दी गई (अक्टूबर 2006)।
	dqy	1]344-91	378-13	

1-7 fcØh dj fu/kkZj.k ds cdk;s ekeys

वर्ष 2001–02 से 2005–06 की अवधि में, वर्ष के प्रारम्भ में बिक्री कर निर्धारण सम्बन्धी लम्बित मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले, वर्ष की अवधि में निष्पादित मामले और प्रत्येक वर्ष के अन्त में निष्पादन योग्य लम्बित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया, नीचे दिये गये है :

o"kZ	çkjfEHkd 'ks"k	o"kZ ds nkSjku dj fu/kkZj.k ;kX; u;s ekeys	dqy	o"kZ ds nkSjku fu"ikfnr ekeys	o"kZ ds vUr esa 'ks"k	dkWye 4 ls dkWye 6 dh çfr'krrk
1	2	3	4	5	6	7
2001–02	1,29,055	1,23,660	2,52,715	55,077	1,97,638	78
2002–03	1,97,638	69,069	2,66,707	58,495	2,08,212	78
2003–04	2,08,212	66,398	2,74,610	49,202	2,25,408	82
2004–05	2,25,408	69,914	2,95,332	75,582	2,19,750	74
2005–06	2,19,750	65,917	2,85,667	64,944	2,20,723	77

4 *बेतिया अंचल से संबंधित सूचनाएँ नहीं भेजी गई, जबकि इसकी माँग मई 2006 में की गई थी।*

1-8 dj dk viopu

वाणिज्य कर विभाग में 31 मार्च 2006 तक पता लगाये गये कर अपवंचन के 273 मामलों में से 162 मामलो में निर्धारण/जाँच पूरा कर लिया गया था और शेष 111 मामलों में अन्तिम निर्णय लम्बित रखते हुए वर्ष 2005–06 की अवधि में 59.16 लाख रुपये के अतिरिक्त माँग, जिसमें अर्थदंड भी शामिल है, का सृजन किया गया था।

अन्य विभागों से यद्यपि सूचनाएँ मई एवं अगस्त 2006 में मांगी गई थी, प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

1-9 okilh

वर्ष 2005–06 के आरम्भ में वापसी से सम्बन्धित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमति प्रदत्त वापसी तथा वर्ष के अन्त में (मार्च 2006) लम्बित मामले, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किये गये थे, नीचे दिए गए हैं।

¼djksM+ #i;s esa½

Ø0 l0		fcØh dj		LFkkuh; {ks=ksa esa eky ds izos'k ij dj	
		ekeyksa dh la[;k	jkf'k	ekeyksa dh la[;k	jkf'k
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	3,132	10.67	4	0.20
2.	वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे	117	22.19	2	0.01
3.	वर्ष की अवधि में की गई वापसी	941	17.36	1	0.01
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	2,308	15.50	5	0.20

1-10 ys[kkijh{kk ds ifj.kke

वर्ष 2005–06 की अवधि में बिक्री कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक तथा निबन्धन फीस, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ, ब्याज प्राप्तियाँ तथा अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 3,833 मामलों में निहित 781.66 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि का पता चला। वर्ष 2005–06 के दौरान, सम्बन्धित विभागों ने 180 मामलों में निहित 14.56 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण आदि किया जाना स्वीकार किया। इनमें से 3.26 करोड़ रुपये से अन्तर्गस्त 69 मामले वर्ष 2005–06 के दौरान और शेष पूर्व के वर्षों की लेखापरीक्षा में बतलाये गये थे। सम्बन्धित विभागों ने 1.25 करोड़ रुपये की वसूली भी प्रतिवेदित किया है।

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि के उद्ग्रहण नहीं किये जाने/कम उद्ग्रहण से सम्बन्धित दो समीक्षाओं सहित 38 कंडिकाएँ हैं जिनमें 304.68 करोड़ रुपये सन्निहित हैं। विभाग/सरकार ने 23 मामलों में सन्निहित 8.07 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है। अन्य मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006)।

1-11 Lohd`r ekeyksa ds jktLo dh olwyh

वर्ष 2000–01 एवं 2004–05 के बीच विभाग/सरकार ने 140.95 करोड़ रुपये से सन्निहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिसमें से 31 मार्च 2006 तक मात्र 1.34 करोड़ रुपये की ही वसूली हुई थी, जैसा कि नीचे विवर्णित है :

¼djksM+ #i;s esa½

y[kkijh{kk çfrosnu dk o"kZ	dqy jkf'k	Lohd`r jkf'k	dh xbZ olwyh
2000–01	837.65	64.31	0.67
2001–02	273.55	..	प्रतिक्षित
2002–03	175.15	0.48	प्रतिक्षित
2003–04	1,117.71	19.53	प्रतिक्षित
2004–05	176.92	56.63	0.67
dqy	2]580-98	140-95	1-34

अद्यतन वसूली से संबंधित सूचनाओं की यद्यपि माँग की गई थी, विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

1-12 mÙkjnkf;Ùo çofrZr djus rFkk ljdkj ds fgrksa dh j{kk djus esa ojh; inkf/kdkfj;ksa dh foQyrk

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन–देन की नमूना जाँच एवं महत्त्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता हैं। उनके निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि. प्र.) के रूप में जिनमें निरीक्षण के दौरान पता लगाई गयी तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कारवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अवलोकनों का अनुपालन तथा त्रुटियों और चूकों का शीघ्र सुधार किया जाना और निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी किये जाने की तिथि से एक महीने के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्राथमिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट भेजा जाना अपेक्षित है। गम्भीर अनियमितताएँ विभागों के अध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2005 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से स्पष्ट था कि अगस्त 2006 के अन्त तक 2,823 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 2,628.21 करोड़ रुपये मूल्य से समाहित 15,324 कंडिकाएँ लम्बित थीं। यहाँ तक की दिसम्बर 2005 तक जारी किये गये 1,973 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तर जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, कार्यालय अध्यक्षों से प्राप्त नहीं हुए थे।

उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद विलम्बन, निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी गलतियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ करने में कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों की विफलता का सूचक है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने के लिये निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नि. प्र./कंडिकाओं के उत्तर भेजने में विफल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया मांग वसूल करने हेतु कार्रवाई करने के लिए एक कारगर प्रक्रिया विद्यमान हो।

1-13 foHkkxh; y[kkijh{kk lfefr dh cSBdsa

निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट बकाया लेखापरीक्षा अवलोकनों का शीघ्र निबटारा करने के उद्देश्य से सरकार ने विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। समितियों की

अध्यक्षता सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा की जाती है जिनमें अन्य के साथ–साथ राज्य सरकार एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित होते हैं।

लेखापरीक्षा अवलोकनों/लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निबटारे की प्रगति का अनुश्रवण तथा समीक्षा करने हेतु त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया जाना अपेक्षित था। वर्ष 2005–06 की अवधि में लेखापरीक्षा समिति की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी। सरकारी विभागों ने इस बैठक के माध्यम से लम्बित लेखापरीक्षा अवलोकनों का निबटारा करने के लिए कोई भी पहल नहीं की। प्रभावकारी प्रगति हेतु सरकार को इस समिति की आवधिक बैठकें सुनिश्चित करना चाहिए।

1-14 çk:i y[kkijh{kk dfMdkvks dks çfr foHkkxksa dh çfrfØ;k

वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा के कंडिकाओं पर अपने उत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेजे। प्रधान महालेखाकार द्वारा प्रारूप कंडिकाओं को अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छह सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अन्त में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित दो समीक्षाओं सहित 38 प्रारूप कंडिकाएँ, सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अप्रील और अगस्त 2006 के बीच अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गये थे।

विभिन्न विभागों के सचिवों ने एक समीक्षा सहित पाँच प्रारूप कंडिकाओं का आंशिक उत्तर प्रेषित किया जबकि एक समीक्षा सहित 33 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः विभाग/सरकार के उत्तर के बिना इस प्रतिवेदन में समीक्षाओं सहित 33 प्रारूप कंडिकाएँ सम्मिलित की गई हैं।